न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

1. काशीराम पुत्र रामरतन यादव
2. श्रीमती कमला पत्नी रामरतन यादव

निवासीगण ग्राम खिसलौनी कचनारीया
तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सेवक पुत्र अनरथ खंगार
निवासी ग्राम खिसलौनी कचनारीया
तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार खनियाधाना जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 94/16–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 5.6.17 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण सर्वे नं. 684/1, 684/2 एवं 733/2 के भूमिस्वामी है। इसी प्रकार उक्त सर्वे नं. के अंश रकवा पर अनावेदक का नाम दर्ज है। लेकिन मौके पर उसका न तो कभी कब्जा रहा न ही वर्तमान में काबिज है।

3– यह कि, अनावेदक वाद भूमि पर कभी काबिज ही नही रहा तब उसने किस भूमि का एवं कौन से स्थान का सीमांकन कराया। ऐसी स्थिज्ञति में राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3080

काशीराम व अन्य विरूद्ध सेवक खंगार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
17–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार खनियाधाना, जिला–शिवपुरी के प्र. क्र. 94/2016–17/अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी खनियाधाना, जिला–शिवपुरी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 07–08–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 17/6/19 (आर.के. जैन) सदस्य